been cleared by Directorate of Education, Delhi as promised in reply to part (e) of the above mentioned question and if not, reasons for abnormal delay in granting House Building advance;

(b) number of applications which have been cleared as on 30th November, 1978 and number of applications which are still pending as on 30th November, 1978;

(c) the date of the longest pending applications ;

(d) steps taken or proposed to be taken to clear the pending cases, which are pending for more than six months now; and

(e) reasons for not clearing all the applications and the time likely to be taken to clear all pending applications ?

THE MINISTER OF STATE IN THE THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI) : (a) According to information furnished by Delhi Administration, 182 cases out of 262 cases pending as on 31st July, 1978 have been cleared upto 30th November, 1978. All the pending applications could not be cleared within the indicated time due to dislocation of work consequent upon the deployment of the staff for flood duty during the month of September, 1978.

(b) 182 applications have been cleared by 30th November, 1978. The total number of pending applications are 145 including the applications received between Ist August, 1978 to 30th November, 1978.

(c) 31-3-1978.

(d) and (e). The pending applications are being taken up on top priority basis for expeditious disposal within the shortest possible time. All pending applications could not be cleared due to the deployment of staff on emergency flood duty. All possible efforts are being made by Delhi Administration to clear the arrears as early as possible. Applications pending for over six months shall be disposed of before December, 1978.

राजस्थान में भूतल-जल सर्वेक्षण

2020. श्री दौलत राम सारण :
श्री चतुर्भुज :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-जल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में बीकानेर जिले के पलाना, जोधपुर जिले के बोरुडा, सीकर जिले के दादिया, जसलमेर जिले के चान्दन तथा बारमेर के लोठी क्षेत्रों में भारी मात्रा में सिंचाई के उपयोग का जल उपलब्ध है;

(ख) क्या उपरोक्त भूतल-जल वाले सभी स्थान रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित हैं जहां आये दिन अकाल पड़ते रहते हैं और रोजगार की स्थिति में अस्थिरता है; और

(ग) यदि हां, तो भूतल-जल से कितनी भूमि में सिंचाई करने की योजना है और क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा अपने सामान्य कायक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कायक्रम की सहायता से चल रही दो विशेष भूमिगत जल सन्तुलन परियोजनाओं के तहत किये गये अध्ययनों से उक्त क्षेत्रों में भूमिगत जल की मात्रा के बारे में पता चला है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धि के बारे में एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र कायक्रम के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु सीकर जिला मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

(ग) अनुमान है कि भूमिगत जल की मात्रा से, जिसको केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने और विकसित करने की सिफारिश की है, लगभग 50,000 हैक्टार क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है। राज्य सरकार उपलब्ध क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

विवरण

राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में भूमिगत जल की उपलब्धि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण ।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने वर्ष 1967-74 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, चुरु, सीकर, झुंझनू, नागौर जिलों में दो वृहत् जल सन्तुलन परियोजनाएं प्रारम्भ की । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 1,00,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र लिया और इनको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से क्रियान्वित किया गया

(क) पलाना, बीकानेर जिला :

इस क्षेत्र में भूमिगत जल अधिकांशत: नदी के कछारों के साथ तथा बलुआपत्थरों की तीसरी परत (टर्शियरी सन्डस्टोन) में छोटे छोटे भू-क्षेत्रों में मिलता है । पाये जाने वाले जल का मात्रा केवल घरेलू तथा ग्रामीण जल सप्लाई में ही सहायक हो सकती है ।

(ख) बोयंडा, जोधपुर जिला :

बोर्ड ने 3900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया । पाया गया कि चूने वाले पत्थर की निचली सतह में 161 वर्ग कि० मी० का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफी मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध है । इस गत्यात्मक संसाधन से प्रतिवर्ष 248 लाख घन मीटर जल की उपलब्धि का अनुमान है । इस क्षेत्र में मौजूदा जल निकास 124 लाख घन मीटर है और इस प्रकार 124 घन मीटर का और विकास किया जा सकता है ।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में राज्य सरकार 65 घन मीटर प्रति घंटा डिस्चार्ज वाले 30 नलकूपों का निर्माण करा चुकी है । जल्द ही 10 और नलकूप निर्मित करने का प्रस्ताव है । इन 40 नलकूपों से कुल मिलाकर 78 लाख घन मीटर के लगभग जल निकास होगा । उपरोक्त 40 नलकूपों के जरिये इस संसाधन का उपयोग करने से भूमिगत जल प्रणाली पर होने वाले प्रभाव को देखने के पश्चात् इस क्षेत्र में और अधिक विकास करने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

(ग) दांता सीकर जिला :

14,464 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का, जिसमें नागौर, सीकर और झुंझनू जिले के क्रमश: पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग आते हैं, विस्तृत सर्वेक्षण किया गया । इस क्षेत्र में 20 से 60 एम० तक की गहराई का एक परिपूर्ण जलीय क्षेत्र (एक्वीफर मेटीरियल) मिला है । यह भी पाया गया कि सीकर तथा दांता तहसील में 9,850 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में जल है जिसमें कुल विलयित ठोस 3000 पी० पी० एम० से कम है । इस किस्म के जल के कुल पुन: पूर्ति—संसाधन 241 एम०सी०एम० प्रतिवर्ष के लगभग होंगे । सिफारिश की गई कि 42,170 हैक्टार फसल क्षेत्र की सिंचाई के लिए 987 कूपों का तुरन्त निर्माण कराया जाए ।

राजस्थान सरकार का इस संसाधन को मरु विकास कार्यक्रम के तहत विकसित करने का विचार है ।

(घ) चन्दन और लोथा क्षेत्र—बाड़मेर जिला :

जसलमेर जिले में लोथी और चन्दन—बरवा क्षेत्र के 10,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण और छान-बीन की गई और पाया गया कि 3272 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में भूमिगत जल की क्वालिटी ग्राह्य सीमाओं के अन्दर ही है और इस संसाधन का उपयोग 150 मी० की गहराई तक नलकूप खोदकर किया जा सकता है । इस क्षेत्र में उपयोग योग्य कुल संसाधन 58 एम० सी०एम० प्रति वर्ष के लगभग है और इस बात की

सिफारिश की गई कि इस क्षमता का विकास करने के लिए इस क्षेत्र में 42 भारी क्षमता वाले नलकूप खोदे जाएं ।

यह भी कहा गया कि क्योंकि भूमिगत जल प्रणाली में रीचार्ज सीमित मात्रा में होता है, अतः इन संसाधनों को बड़े पमाने पर विकसित करने से भूमिगत जल पर हानिकर प्रभाव पड़ेगा । राजस्थान सरकार ने पहले चरागाह तथा हरा चारा विकास सम्बन्धी योजना के तहत 21 नलकूपों का निर्माण करने का विचार किया है । जैसे ही इस क्षेत्र के प्रस्तावित विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा (जिसके लिए राज्य विद्युतीकरण बोर्ड द्वारा कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है) इन नलकूपों के निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ई० टी० डी० कार्यक्रम के तहत पहले ही 250 नलकूपों का निर्माण कर चुकी है ।

ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को प्लाट का आबंटन

2021. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक एककों को प्लाट आवंटन सम्बन्धी अपनी नीति के अनुसार ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को एक प्लाट आवंटित किया था परन्तु कंपनी ने उसको नियमानुसार पहले आवंटित स्थान को भी रखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब संयंत्र के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है और पहले कितनी दी गई थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को कहा गया है ।

(ग) अब आवंटित किया गया क्षेत्र 30,583 वर्ग गज है । पहली भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं की गई थी ?

सरकारी आवास का आवंटन

2022. **श्री राघवजी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें उसी आधार पर आवास आवंटित किया गया है, जिस आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी को विलिंग्डन क्रिसेंट में बंगला दिया गया था; और

(ख) क्या श्रीमती गांधी ने बंगले में कुछ अनधिकृत निर्माण किया है यदि हां, तो इन अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उसी आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई आवास नहीं दिया गया है ।

(ख) जी, हां । अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए उन्हें एक नोटिस दिया गया था और उनका उत्तर विचाराधीन है ।